



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone



प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

email: ccu-cexvz@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.01/2026 (कर सहायक)
Establishment Order (N.G.O) No. 01/2026 (TA)
दिनांक 29 जनवरी 2026 Dated 29th January 2026

अनुकंपा कोटा के तहत चयनित उम्मीदवारों को केंद्रीय कर के कर सहायक के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति के संबंध में, अपर आयुक्त केन्द्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (संनिप्रा), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं 10/सी सी ए/2026 दिनांक 23.01.2026 के अनुसार विशाखापट्टणम सीजीएसटी क्षेत्र में आवंटन पर, कर सहायक के संवर्ग में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, निम्न पदस्थापन के आदेश दिए जाते हैं।

Consequent upon initial appointment of candidates selected under compassionate appointment as Tax Assistants vide EO (NGO) No. 10/CCA/2026 dated 23.01.2026 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad, and on allotment to Visakhapatnam CGST Zone, the following postings in the cadre of Tax Assistant are ordered with immediate effect and until further orders:-

सं क्र Sl No	अधिकारी का नाम (श्रीमती / कु / श्री) Name of the Officer (Smt / Kum / Shri)	मु. आ. का. वि. क्षे में रिपोर्ट करने की तिथि DoJ in CCO VZ	तैनात किया गया आयुक्तालय Commissionerate Posted to
1.	एम नरसिम्हा राव M.Narasimha Rao	27.01.2026 (AN)	गुंटूर सीजीएसटी Guntur CGST
2.	के साई प्रशान्त K Sai Prasanth	27.01.2026 (FN)	गुंटूर अपील Guntur CGST
3.	शेख अब्दुल गफूर Shaik Abdul Gaffur	Not Joined	सी पी सी, विजयावाड़ा CPC, Vijayawada
4.	पी वी वी एस ज्योतिर्मोई PVVS Jyothirmoi	28.01.2026 (FN)	विशाखापट्टणम सीजीएसटी Visakhapatnam CGST

2. मु.आ.का. (वि.क्षे.) में रिपोर्ट करने वाले सभी अधिकारियों को 29.01.2026 के अपराह्न में कार्यमुक्त कर दिया जाता है ताकि वे अपने नए पदस्थापित स्थान पर रिपोर्ट कर सकें।

All Officers who have reported to CCO (VZ) stand relieved in the afternoon of 29.01.2026 to enable them report at their new place of posting.

3. सं क्र 3 पर उल्लेखित अधिकारी जो मु.आ.का. (वि.क्षे.) में रिपोर्ट नहीं किए हैं, उन्हें 23.02.2026 को या उससे पहले सीधे अपने संबंधित तैनाती स्थान पर रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया जाता है, सिवाय उल हालात में जहां रिपोर्ट करने की तारीख केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (सं.नि.प्रा.), हैदराबाद द्वारा बढ़ा दी गई हो। सं क्र 3 पर उल्लेखित अधिकारी को रिपोर्ट करने पर संबंधित आयुक्तालयों के अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त के समक्ष निष्ठा की शपथ लेनी होगी एवं आयुक्तालय द्वारा उसकी एक प्रति, कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट के साथ, इस कार्यालय को भेजना है।

Officers Sl No. 3 above who has not reported to CCO (VZ) is directed to report directly to his place of posting on or before 23.02.2026, except in case the date of joining has been extended by the Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad. The officer joining directly in the Commissionerate is to take Oath of Allegiance before the Additional Commissioner / Joint Commissioner of the Commissionerate upon joining and the Commissionerate is to forward a copy of the same to this office along with joining report.

4. संबंधित आयुक्तालय को आयुक्तालय में रिपोर्ट वाले अधिकारी के मूल शिक्षा/जाति/पीएच प्रमाणपत्रों का सीधे सत्यापन भी करना है और केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (सीसीए), हैदराबाद द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज भी प्राप्त करना है।

Concerned Commissionerate is also to verify Original Education/Caste/PH Certificates of Officers directly joining the Commissionerate and also obtain any other documents as may be required by the Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad.

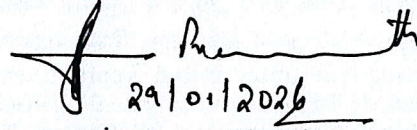
5. अपर आयुक्त केन्द्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (सीसीए), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं 10/सी सी ए/2026 दिनांक 23.01.2026 में अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं।

All other terms and conditions in EO (NGO) No. 10/CCA/2026 dated 23.01.2026 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad, as applicable, remain unaltered.

6. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएँ। Necessary entries may be made in relevant records.

7. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

8. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Principal Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.



(काकराला प्रशांत कुमार / Kakarala Prasanth Kumar)
अपर आयुक्त / Additional Commissioner

(फाइल सं GCCO/II/(3)/07/2026-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी)
[Issued from file GCCO/II/(3)/07/2026-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में
संबंधित व्यक्तियों को।

To
The Individual officers

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर सीजीएसटी / हैदराबाद (संनिप्रा) आयुक्तालय
2. आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक, सी पी सी विजयावाड़ा
3. मु.ले. अधिकारी / आ.स.अ विशाखापट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर सीजीएसटी / सी पी सी, विजयावाड़ा
4. वेतन एवं ले. अधिकारी, विशाखापट्टणम / गुंटूर।
5. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल।

Copy to:

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST/Guntur CGST / Hyderabad (CCA).
2. The Commissioner of Customs, CPC, Vijayawada
3. CAO / DDO Visakhapatnam CGST /Guntur CGST / CPC, Vijayawada.
4. PAO of Visakhapatnam /Guntur
5. Notice Board/website/Stock file.